उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–1

संख्या : यू0ओ0 61 / रा–1 / 1999–724 / डी0ए0 / 98–आवास–1

लखनऊः दिनांकः1 सितम्बर, 1999

/ / अधिसूचना / /

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृह आदि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–22 सन् 1972) की धारा –3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके सरकारी अधिसूचना संख्या–268 / रा–1–6(5),77, दिनांक 24 जनवरी, 1978 में उल्लिखित अधिकारियों के अतिरिक्त श्री राज्यपाल प्रदेश के सम्बद्ध विकास प्राधिकरणों के सचिवों, संयुक्त सचिवों और अधिशासी अभियंतओं को ''विहित प्राधिकारी'' नियुक्त करते हैं जो अपने–अपने विकास क्षेत्रों में स्थिति विकास प्राधिकरणों के नियन्त्रणाधीन समस्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम संख्या–22 सन् 1972 के द्वारा या अधीन विहित प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर आरोपित कर्तव्यों का सम्पादन करेंगें।

आज्ञा से,
एस0एन0शुक्ल
प्रमुख सचिव

संख्याः यू0ओ061(1) / रा–1 / 1999–724 / डी0ए0 / 98 आवास–1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अंग्रेजी अधिसूचना आलेख की प्रतिलिपि सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत अधिसूचना को दिनांक, 1 सितम्बर, 1999 के असाधारण सरकारी गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड(ख) में प्रकाशित करने तथा गजट की छपी पाँच–पाँच प्रतियां स्मस्त विकास प्राधिकरणों एवं आवास अनुभाग–1 तथा इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. सचिव, आवास अनुभाग–1

3. मण्डलायुक्त आगरा, इलाहाबाद, कानपुर,फैजाबाद, गढ़वाल, गोरखपुर, झाँसी, चित्रकूट, कुमायुँ, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, वाराणसी।

4. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, कानपुर, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, वृन्दावन मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ, खुर्जा बुलन्दशहर,सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, फिरोजाबाद,बरेली, रायबरेली, बाँदा, झाँसी, गोरखपुर, अयोध्या, फैज़ाबाद, दूनवैली–देहरादून, शुक्लागंज–उन्नाव, वृहत्तर नैनीताल, नैनीताल, मुरादाबाद, पिलखुवा–हापुड़, अलीगढ़।

5. जिलाधिकारी, कानपुर, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ, खुर्जा बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, फिरोजाबाद,बरेली, रायबरेली, बाँदा, झाँसी, गोरखपुर, फैज़ाबाद, देहरादून, उन्नाव, नैनीताल, मुरादाबाद, अलीगढ़।

आज्ञा से,
विश्राम सिंह
अनु सचिव